

## **Regarding reported sale of medicines above MRP in the country- Laid**

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : यह देखने में आया है कि बीमारियों के चलते लोगों को अक्सर मेडिकल स्टोर या फिर हॉस्पिटल का चक्कर दवा खरीदने के लिए लगाना पड़ता है । कई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान भारत जैसी सरकारी योजनाओं में भी दवाओं की कीमते पारदर्शी नहीं है, जिससे कि मरीजों को आवश्यक बोझ उठाना पड़ता है, साथ ही कई बार रिटेलर्स और हॉस्पिटल ब्रांड वेल्यू या स्टॉक की कमी का हवाला देकर तय सीमा से भी ज्यादा पैसे वसूल लेते हैं । नेशनल फार्माटिक्स प्राइसिंग अथोरिटी के आँकड़ों से पता चलता है कि डायबिटीज या इंफेक्शन की दवाओं की कीमते हाल ही में रिवाइज हुई हैं, लेकिन खुदरा बाजार में 10 से 20 प्रतिशत ज्यादा दाम पर बिक रही हैं । यह जानकारी 26 नवम्बर, 2025 के राजस्थान पत्रिका अखबार के माध्यम से मिली है । मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस ओर ध्यान दें और जो लोग एम.आर.पी से ज्यादा कीमत में दवा दे रहे हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाये ।